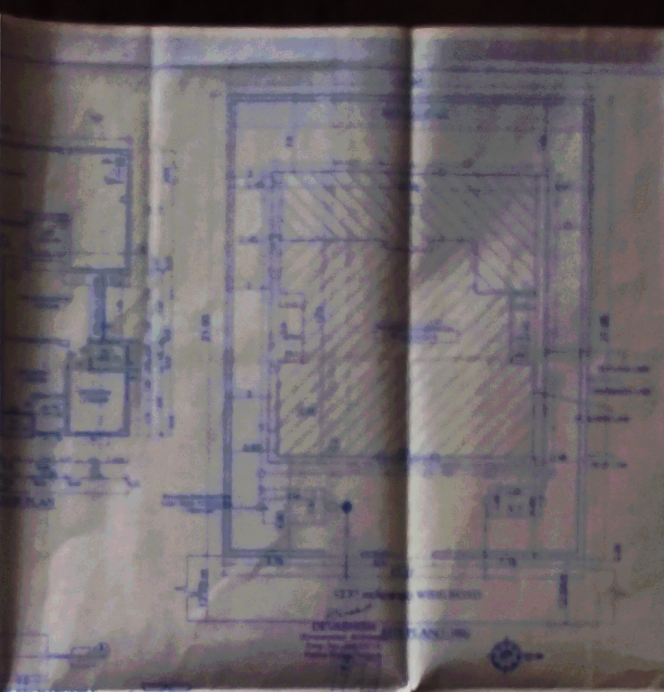
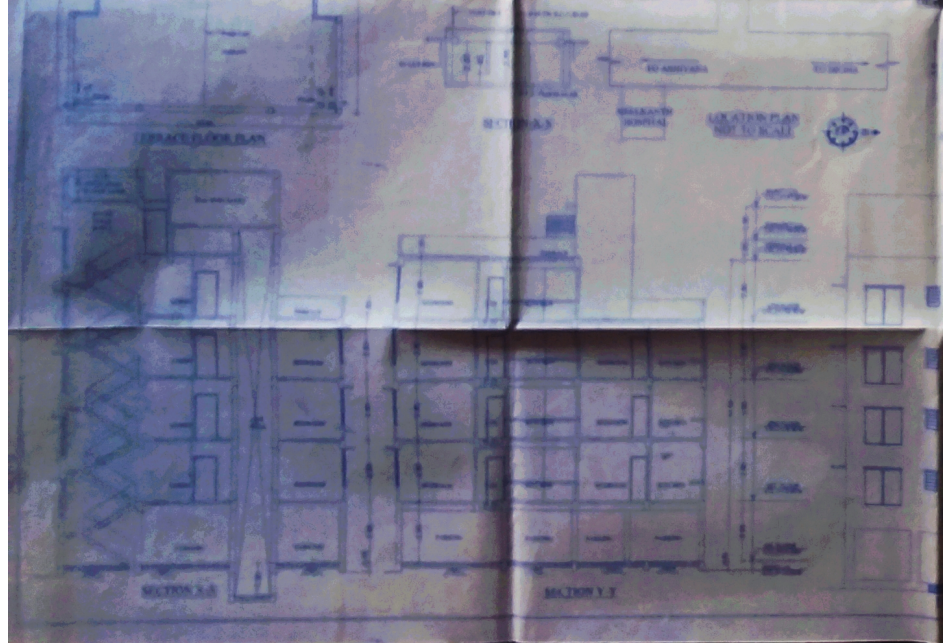
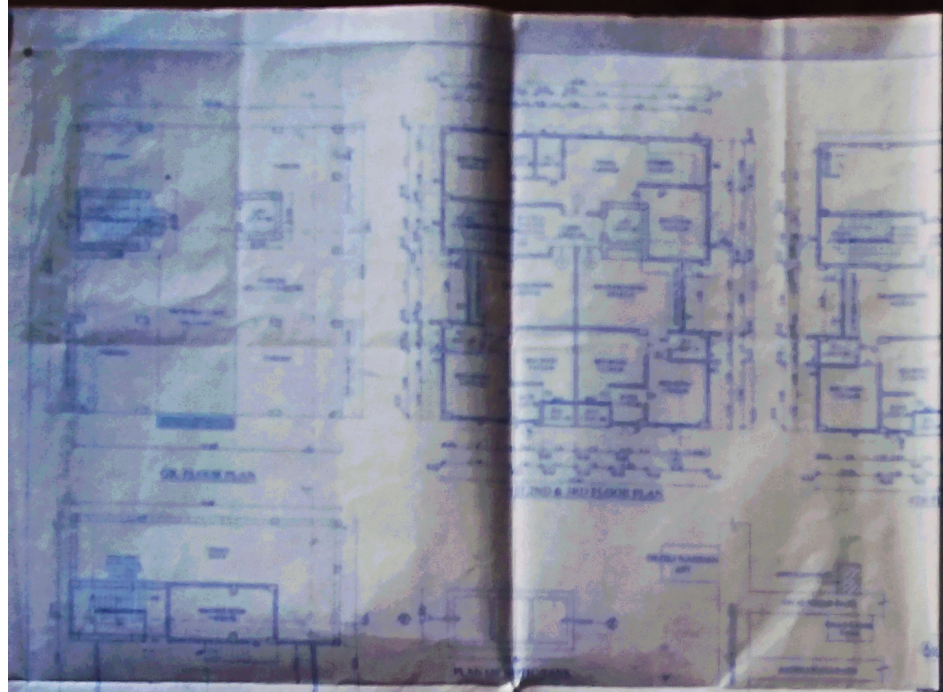




Technical specifications and notes for the building project.

GENERAL NOTES:

1. All dimensions are in feet and inches.
2. All materials are to be of the best quality.
3. All work is to be done in accordance with the latest edition of the Building Code of the City of New York.
4. All work is to be done in accordance with the latest edition of the National Building Code.
5. All work is to be done in accordance with the latest edition of the International Building Code.
6. All work is to be done in accordance with the latest edition of the American Institute of Architects Code of Ethics.
7. All work is to be done in accordance with the latest edition of the American Institute of Architects Code of Standards.
8. All work is to be done in accordance with the latest edition of the American Institute of Architects Code of Practice.
9. All work is to be done in accordance with the latest edition of the American Institute of Architects Code of Conduct.
10. All work is to be done in accordance with the latest edition of the American Institute of Architects Code of Honor.

SECTION 1-1:

1. Foundation: 12" concrete, 12" steel reinforcement.

2. Floor: 4" concrete, 4" steel reinforcement.

3. Wall: 12" concrete, 12" steel reinforcement.

4. Roof: 4" concrete, 4" steel reinforcement.

SECTION 2-2:

1. Foundation: 12" concrete, 12" steel reinforcement.

2. Floor: 4" concrete, 4" steel reinforcement.

3. Wall: 12" concrete, 12" steel reinforcement.

4. Roof: 4" concrete, 4" steel reinforcement.

SECTION 3-3:

1. Foundation: 12" concrete, 12" steel reinforcement.

2. Floor: 4" concrete, 4" steel reinforcement.

3. Wall: 12" concrete, 12" steel reinforcement.

4. Roof: 4" concrete, 4" steel reinforcement.



सेवा में,

श्री शिव शंकर दूबे,
पिता-श्री बालानन्द दूबे,
पता- रोड नं०-04, क्वार्टर नं०-16, गर्दनीबाग,
जिला- पटना, बिहार।

विषय :- प्लॉन केस सं०-P- Khajpura-PRN-G+4/19/2018 की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P- Khajpura-PRN-G+4/19/2018 दिनांक 09.02.2018 के संदर्भ में श्री शिव शंकर दूबे, पिता- श्री बालानन्द दूबे, पता- रोड नं०-04, क्वार्टर नं०-16, गर्दनीबाग, थाना- गर्दनीबाग, जिला- पटना, बिहार के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित..... विकास योजना / आयोजना प्राधिकार/ आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०-435, 440, 442, खाता नं०-105,107, मौजा-खजपुरा, थाना सं०-11, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/ निर्वर्धनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 153.24 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.04 मीटर से 12.70 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को शून्य वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमाम्य होगी।
- (ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।
- (ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/ हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ठ) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ढ) ग्रीन-एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप-विधि, 2014 के कांडिका-32 के अनुरूप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

विशवासभाजन,

Eshwar
21/08/15
उप निदेशक,

शहरी योजना,

पटना नगर निगम, पटना।